# ्यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ा-पत्र संख्या :–84 / 2022 दायर दिनांक: 01.06.2022

CMS NO:- 2022/159 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. फोरूलाल आ0 शोकरण जाति मीणा नि0 रघुनाथपुरा।
2. रमेश आ0 शोकरण जाति मीणा नि0 रघुनाथपुरा।
3. रमेशी पुत्री शोकरण जाति मीणा नि0 रघुनाथपुरा।
4. सोहनी पत्नी शोकरण जाति मीणा नि0 रघुनाथपुरा।

–वादीगण–

**बनाम**

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ।

–प्रतिवादी–

**वाद– वास्ते निरस्त किये जाने तरमीम राजस्व नक्शा।**

**उपस्थिति–**

**वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम मीणा।**

**निर्णय दिनांक 22.5.2025**

## निर्णय

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथपुरा प0म0 दुगारी के खसरा नम्बर 460 / 14, 589 / 317 कुल किता 2 कुल रकबा 1.3753 हैक्टयर भूमि जो कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण बहैसियत खातेदार काबिज रहकर लगातार खेती काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के मूल खसरा नम्बर 14 है जिसके दक्षिण भाग पर वादिगण बहैसियत खातेदार काबिज रहकर खेती काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने मौके का सत्यापन किये बिना मनमर्जी से वादीगण का नुकसान पहुंचाने की गरज से वादीगण के खसरा नम्बर 460 / 14 रकबा 0.9708 हैक्टयर भूमि की राजस्व नक्शे मे आनलाईन तरमीम उक्त मूल खसरे के उत्तरी भाग पर जहां वादीगण का कब्जा नही है, उस स्थान पर कर दी जिससे वादीगण को भारी नुकसान हो गया है। उक्त गलत तरमीम होने से मौके पर विवाद होने की स्थिति पैदा हो गयी है। यही वाद कारण है। यह कि वादीगण ने खसरा नम्बर 460 / 14 के नक्शे की नकल निकलवाई तो उक्त गलत तरमीम की जानकारी होने के बाद वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत् दिया लेकिन प्रतिवादी ने तरमीम को दुरूस्त करने से साफ इन्कार कर दिया जिससे वादीगण को वाद पेश करना पड रहा है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादी द्वारा राजस्व नक्शे मे खसरा नम्बर 460 / 14 की गलत रूप से की गयी तरमीम को निरस्त करवाकर मूल खसरे के दक्षिणी भाग पर जहां वादीगण का कब्जा स्थित है, पर सही तरमीम करवायी जावे। प्रार्थीगण ने अपने समर्थन मे शपथ–पत्र, वर्तमान जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, आदि पेश किये गए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2023 से प्राप्त हो चुकी है।

एकपक्षीय बहस सूनी गयी। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा राजस्व नक्शे मे वादीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 460 / 14 की गलत रूप से की गयी तरमीम को निरस्त करवाकर मूल खसरे के दक्षिणी भाग पर जहां वादीगण का कब्जा स्थित है, पर सही तरमीम करवायी जावे।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि ग्राम रघुनाथपुरा स्थित वादीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 460 / 14 की तरमीम नक्शे लट्ठे मे नही हो रही है परन्तु डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत उक्त खसरा नम्बर की तरमीम की गयी थी जो संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार है। मुताबिक मौके अनुसार वादीगण खातेदारान को मौके पर कब्जा काश्त है परन्तु वादीगण जिस जगह पर काबिज है, उस भूमि पर खसरा नम्बर 459 / 14 के खातेदार लेखराज की खातेदारी की तरमीम का आंशिक हिस्सा आ रहा है व वादीगण खातेदार के खसरा नम्बर 460 / 14 की तरमीम हो रही है उस जगह पर आंशिक भूमि पर खसरा नम्बर 459 / 14

वाले खातेदार का कब्जा है। वादीगण खातेदार खसरा नम्बर 460/14 की तरमीम को दुरूस्त करवाना चाहता है परन्तु प्रकरण तरमीम दुरूस्ती का ना होकर आपसी खातेदारों के मध्य भूमि विनिमय का बनता है। अतः तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ